संपर्क

दूरभाष
(02) 9891 6400

निःशुल्क दूरभाष
1800 629 072

फ़ैक्स
(02) 9635 5355

टी टी वाए
(02) 9687 6325

पत्र व्यवहार
PO Box 9381
HARRIS PARK
NSW 2150

ई–मेल
mdaa@mdaa.org.au

वेबसाईट
www.mdaa.org.au

पता
40 Albion Street
Harris Park, NSW

हमारा कार्यालय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9:00 से शाम 5:00 बजे तक खुलता है।

ऐमडा के बारे में कुछ और जानकारी

ऐमडा का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य NSW के अंग्रेज़ी न बोलने वाली पृष्ठभूमि (NSEB) के लोगों, जो किसी प्रकार की विकलांगता महसूस कर रहे हैं, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी देखभाल करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना एवं सुरक्षित रखना है।

ऐमडा एक गैर सरकारी समुदाय-आधारित संस्था है जो एक प्रबन्धक समिति की देखरेख में कार्य करती है। समिति एवं ऐमडा में कार्य करने वाले कार्यकर्त्ता विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से हैं, एवं उनमें से कुछ लोग विकलांग भी हो सकते हैं।

ऐमडा को अपने कार्यक्रम चलाने के लिए धनराशि डिपार्टमेंट ऑफ़ एजिंग, डिसेबिलिटी एंड होम केयर (Department of Ageing, Disability and Home Care) एवं कॉमनवैल्थ डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ैमिली एंड कम्यूनिटी सर्विसज़ (Commonwealth Department of Family and Community Services) से मिलती है।

ऐमडा की सदस्यता अंग्रेज़ी न बोलने वाली पृष्ठभूमि के लोग जो कि किसी प्रकार की विकलांगता महसूस कर रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य व देखभालकर्त्ताओं को उपलब्ध है। ऐमडा नए सदस्यों का हमेशा स्वागत करता है।

ऐमडा कर में कटौती योग्य भेंट स्वीकार करता है। दो डॉलर से अधिक की भेंट पर कर में कटौती मिलती है।

न्यू साऊथ वेल्स (NSW) की बहुसांस्कृतिक विकलांगता वकालत संस्था (ऐमडा)
Multicultural Disability Advocacy Association (MDAA)

ऐमडा (MDAA) आपके लिए क्या कर सकता है?

MDAA

ऐमडा में हम अंग्रेज़ी न बोलने वाली पृष्ठभूमि (NESB) के NSW के विकलांग लोगों और उनके परिवार के सदस्यों एवं देखभालकर्त्ताओं व समुदाय के साथ मिल कर उनके अधिकारों व हितों को बढ़ावा देने, बचाव करने व सुरक्षित रखने का काम करते हैं।

ऐमडा के विभिन्न कार्यक्रम एवं व्यक्तिगत वकालत गतिविधियांः

व्यक्तिगत वकालत :
एक कार्यकर्त्ता, जिसे वकील कहते हैं, आपके अधिकारों की अवहेलना होने पर आपके साथ काम करता है। वकील आपके साथ खड़ा होगा, आपका सहयोग देगा, ताकि आप स्वयं अपने फैसले ले सकें और अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकें।

उदाहरणः
प्रतिमा ने भारत से आस्ट्रेलिया में आप्रवास किया। काम के दौरान उसे तेज़ बुखार हुआ और लकवा हो गया। प्रतिमा अत्याधिक अकेलापन महसूस करती थी और उसकी मानसिक स्थिति भी गिरती जा रही थी। प्रतिमा ने ऐमडा से मदद मांगी। वह अपनी बहन को भारत से आस्ट्रेलिया बुलाना चाहती थी। ऐमडा ने उसकी बहन के आप्रवास के लिए आवेदन पत्र तैयार करने में मदद की। आवेदन पत्र आप्रवास विभाग में स्वीकृत हो गया, अतः आज प्रतिमा की बहन आस्ट्रेलिया में उसके साथ रहती है और प्रतिमा की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है।

सामुदायिक विकास :
इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐमडा आपके समुदाय के साथ विकलांगता सेवाओं और विकलांग लोगों के अधिकारों के बारे में जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है।

उदाहरणः
ऐमडा वुलगुल्गा में रहने वाले सिक्ख समुदाय के साथ काम कर रहा है। 2004-05 में ऐमडा ने सामुदायिक कार्यकर्त्ता नियुक्त किया जो कि केवल भारतीय आप्रवासियों के विकास का कार्य करता है।

वकालत विकास :
इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐमडा NSW के ग्रामीण एवं छोटे शहरों में जाकर समुदायों के साथ कार्य करता है। उनके अधिकारों एवं उनको उपलब्ध सेवाओं के बारे में उनकी जानकारी व जागरुकता बढ़ाता है।

पद्धति की वकालत :
हम राजनीतिज्ञों व सरकारी विभागों को साथ में लेते हुए अंग्रेज़ी न बोलने वाली पृष्ठभूमि (NESB) के विकलांग लोगों, उनके परिवारों या उनके देखभालकर्त्ताओं का जीवन बेहतर बनाते हैं।

ऐमडा की व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विकास सेवाऐं निःशुल्क हैं।